

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-201

जिसका उत्तर 01 जनवरी, 2019 को दिया जाना है।

‘दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना’ का असंतोषजनक कार्य-निष्पादन

***201. श्री रेवती रमन सिंह:**

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि विगत दो वर्षों के दौरान, दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत गांवों के विद्युतीकरण के कार्य में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई है; और

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार द्वारा इस विषय की गंभीरता को देखते हुए उक्त योजना के तत्काल कार्यान्वयन हेतु एक समिति का गठन किया जा रहा है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, देश में दिनांक 28 अप्रैल, 2018 के अनुसार सभी आबादी वाले जनगणना गाँवों को विद्युतीकृत कर दिया गया है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-208

जिसका उत्तर 01 जनवरी, 2019 को दिया जाना है ।

‘सौभाग्य’ योजना के प्रभाव का आकलन

***208. श्री डी. राजा:**

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या देश में सभी शेष रह गए घरों में बिजली उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से सितम्बर, 2017 में प्रारंभ की गई प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना (‘सौभाग्य’) के कार्यान्वयन में हुई प्रगति का कोई आकलन किया गया है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर.के. सिंह)

विवरण सभा पटल पर रखा दिया गया है।

विवरण

“सौभाग्य’ योजना के प्रभाव का आकलन” के बारे में राज्य सभा में दिनांक 01.01.2019 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 208 के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

विद्युत मंत्रालय द्वारा समय देश के लिए प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना-“सौभाग्य” के निष्पादन की नियमित रूप से निगरानी की जाती है। राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, दिनांक 11 अक्टूबर, 2017 को “सौभाग्य” स्कीम की शुरुआत से दिनांक 26 दिसंबर, 2018 तक 2.31 करोड़ से अधिक घरों का विद्युतीकरण किया गया है। इस योजना में दिनांक 31 मार्च, 2019 तक शेष गैर-विद्युतीकृत घरों के विद्युतीकरण की परिकल्पना है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2223

जिसका उत्तर 01 जनवरी, 2019 को दिया जाना है ।

पारेषण और वितरण (टीएंडडी) संबंधी हानियों को कम करने के उपाय

2223. श्री संजय सिंह:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार को जानकारी है कि भारत में विद्युत की पारेषण और वितरण संबंधी हानियां दुनिया में सबसे ज्यादा हैं;
- (ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा 2015 से विद्युत वितरण के लिए उचित अवसंरचना सुनिश्चित करने हेतु क्या-क्या उपाय किए गए हैं, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) सरकार द्वारा 2015 से यह सुनिश्चित करने के लिए क्या-क्या उपाय किए गए हैं कि विद्युत की कोई चोरी न हो जिसके कारण पारेषण और वितरण की हानियां होती हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर.के. सिंह)

(क) : भारत में पारेषण एवं वितरण (टीएंडडी) हानियां विकसित देशों की तुलना में सामान्यतः औसत से अधिक हैं लेकिन इनमें कमी का दौर रहा है।

(ख) और (ग) : वितरण नेटवर्क में एटीएंडसी हानियों की कमी का उत्तरदायित्व राज्य विद्युत विभागों/यूटिलिटीयों का होता है। तथापि, भारत सरकार ने राज्यों को उनकी वितरण अवसंरचना प्रणालियों में सुधार लाने में सक्षम बनाने के लिए विभिन्न योजनाएं जैसे एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस), दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ), उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) शुरू की हैं ताकि चोरी के कारण हुई ऊर्जा हानियों में कमी आ सके। आईपीडीएस/डीडीयूजीजेवाई योजनाओं के अंतर्गत टीएंडडी हानियों में कमी लाने के लिए वितरण ट्रांसफार्मर/फीडर/उपभोक्ताओं की मीटरिंग सहित है, शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में उप-पारेषण तथा वितरण नेटवर्क के सुदृढीकरण के लिए केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

विद्युत अधिनियम, 2003 में विद्युत चोरी के लिए दंडात्मक प्रावधान हैं। विद्युत मंत्रालय ने वितरण प्रणालियों में सुधार लाने के लिए वितरण अवसंरचना को आईटी युक्त बनाने, फीडर मीटरिंग, फीडर पृथक्करण और स्मार्ट मीटरिंग के लिए उत्तरोत्तर परिवर्तन करने जैसी कई मध्यवर्ती सुविधाएं प्रदान की हैं ताकि चोरी के कारण होने वाली हानियां सहित ऊर्जा हानि में कमी लाई जा सके।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2224

जिसका उत्तर 01 जनवरी, 2019 को दिया जाना है ।

ग्रामीण विद्युतीकरण में प्रगति

2224. श्री नारायण राणे:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विगत ढाई वर्ष में देश के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, यदि हां, तो उसका उक्त अवधि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान देश के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण की दिशा में प्राप्त हुई प्रगति और लक्ष्यों का तथा इस संबंध में भावी योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, देश में दिनांक 28 अप्रैल, 2018 के अनुसार सभी आबादी वाले जनगणना गाँवों को विद्युतीकृत कर दिया गया है। पिछले साढ़े तीन वर्षों में विद्युतीकृत गाँव की संख्या इस प्रकार है:

2015-16	2016-17	2017-18	2018-19 (28.04.2018 तक)
7108	6015	3736	1515

“सौभाग्य” स्कीम की शुरुआत अर्थात् दिनांक 11 अक्टूबर, 2017 से दिनांक 26 दिसंबर, 2018 तक 2.31 करोड़ से अधिक घरों का विद्युतीकरण किया गया है और दिनांक 31 मार्च, 2019 तक शेष घरों के विद्युतीकरण का लक्ष्य है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2225

जिसका उत्तर 01 जनवरी, 2019 को दिया जाना है ।

जयगढ़, महाराष्ट्र में प्रस्तावित ताप विद्युत संयंत्र

2225. श्री नारायण राणे:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या रत्नागिरी, कोंकण क्षेत्र के जयगढ़ में ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना की गयी है अथवा किया जाना प्रस्तावित है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) इस प्रयोजनार्थ कितनी भूमि का अधिग्रहण किया गया है;
- (ग) क्या संबंधित भूमिधारकों को उनकी भूमि का मुआवजा दे दिया गया है; और
- (घ) यदि हां, तो किस दर पर भूमि का मुआवजा दिया गया है अथवा दिया जाना प्रस्तावित है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर.के. सिंह)

(क) : एक 1200 मेगावाट (4X300 मेगावाट) ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना वर्ष 2010 में की गई थी।

(ख) : संबंधित भू-स्वामियों से परस्पर सहमति की दरों पर कुल 358 एकड़ भूमि क्षेत्र (संयंत्र, कोयला हैंडलिंग, टाउनशिप एवं विविध सहित) की खरीद की गई थी। भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अंतर्गत कोई भूमि अधिग्रहित नहीं की गई है।

(ग) : खरीदी गई भूमि के लिए पूरा भुगतान कर दिया गया है।

(घ) : उक्त भूमि वर्ष 1992-1995 के दौरान खरीदी गई थी। खरीद के समय पर आस-पास के क्षेत्र की भूमि दर के आधार पर दर पर आपसी सहमति बनी थी।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2226

जिसका उत्तर 01 जनवरी, 2019 को दिया जाना है।

ताप विद्युत संयंत्रों के प्रदूषण को नियंत्रित करना

2226. श्रीमती कान्ता कर्दम:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में कोयला-आधारित ताप विद्युत संयंत्रों के प्रदूषण का स्तर कम करने के लिए किसी विशेष योजना पर कार्य कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा इन ताप विद्युत संयंत्रों के आधुनिकीकरण के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : सरकार ने देश में कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों के प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

(i) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) ने 7 दिसंबर, 2015 को ताप विद्युत संयंत्रों के लिए निम्नलिखित नए पर्यावरणीय मानदंड अधिसूचित किए हैं।

उत्सर्जन मापदण्ड	31 दिसंबर, 2003 से पहले स्थापित ताप विद्युत संयंत्र (इकाईयां)	31 दिसंबर, 2003 के बाद तथा 31 दिसंबर, 2016 तक स्थापित ताप विद्युत संयंत्र (इकाईयां)	1 जनवरी, 2017 से स्थापित किए जाने वाले ताप विद्युत संयंत्र (इकाईयां)
पर्टिकुलेट मैटर	100 एमजी/एनएम ³	50 एमजी/एनएम ³	30 एमजी/एनएम ³
सल्फर डाईऑक्साइड	500 मेगावाट से कम क्षमता की इकाईयों के लिए	500 मेगावाट से कम क्षमता की इकाईयों के लिए 600	100 एमजी/एनएम ³

(SO ₂)	600 एमजी/एनएम ³ 500 मेगावाट और उससे अधिक क्षमता की इकाईयों के लिए 200 एमजी/एनएम ³	एमजी/एनएम ³ 500 मेगावाट और उससे अधिक क्षमता की इकाईयों के लिए 200 एमजी/एनएम ³	
नाइट्रोजन के ऑक्साइड (NO _x)	600 एमजी/एनएम ³	300 एमजी/एनएम ³	100 एमजी/एनएम ³
पारा	0.03 एमजी/एनएम ³ (500 मेगावाट और उससे अधिक क्षमता की इकाईयों के लिए)	0.03 एमजी/एनएम ³	0.03 एमजी/एनएम ³

देश में निर्बाध विद्युत आपूर्ति स्थिति सुनिश्चित करने के लिए पणधारकों के परामर्श से केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा 1,61,402 मेगावाट (414 इकाई) क्षमता के लिए संयंत्रों में फ्लू गैस डी-सल्फराइजेशन (एफजीडी) की संस्थापना और 64,525 मेगावाट (222 इकाई) क्षमता के लिए संयंत्रों में इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंसीपीटर का अपग्रेडेशन करने के लिए एक चरणबद्ध कार्यान्वयन योजना (2022 से पूर्व कार्यान्वित की जानी है) तैयार की गई थी और यह योजना दिनांक 13.10.2017 को एमओईएफएंडसीसी को प्रस्तुत की गई थी। सीईए द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने ताप विद्युत संयंत्रों को निर्देश जारी किए हैं।

- (ii) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) द्वारा नेशनल मिशन ऑन इन्हैन्सड एनर्जी एफिशिएंसी (एनएमईईई) के अंतर्गत, निष्पादन, प्राप्ति और व्यापार (पीएटी) स्कीम कार्यान्वित की जा रही है। इस स्कीम में, देश में ऊर्जा दक्षता में सुधार लाने के लिए ताप विद्युत स्टेशनों को व्यक्तिगत लक्ष्य सौंपा जाता है। इन ताप विद्युत स्टेशनों की इनक्रिमेंटल एफिशिएंसी से जीवाश्म ईंधन खपत में कमी आएगी और इससे CO₂ उत्सर्जनों में कमी आएगी।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2227

जिसका उत्तर 01 जनवरी, 2019 को दिया जाना है।

जल विद्युत परियोजना का निष्पादन

2227. डॉ. अशोक बाजपेयी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में स्थापित की गई केंद्रीय क्षेत्र की जल विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;
- (ख) इन परियोजनाओं की अनुमानित विद्युत उत्पादन क्षमता तथा इनसे वास्तविक रूप से उत्पादित की जा रही विद्युत का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या देश में और जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए कोई अध्ययन किया गया है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रयोजनार्थ किन स्थलों का चयन किया गया है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में कुल 1460 मेगावाट की क्षमता वाले केंद्रीय क्षेत्र की पांच (5) (केंद्रीय क्षेत्र) जल विद्युत परियोजनाएं संस्थापित की गई हैं। विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान नवंबर, 2018 तक के दौरान अनुमानित विद्युत उत्पादन क्षमता तथा उत्पादित की जा रही वास्तविक विद्युत सहित परियोजना-वार ब्यौरा इस प्रकार है:

क्र.सं.	जल विद्युत स्टेशन (क्षमता मेगावाट में)	डिजाइन एनर्जी (एमयू में)	वास्तविक उत्पादन (एमयू में)			
			2015-16	2016-17	2017-18	2018-19*
1	कोल डैम (800 मेगावाट)	3054.79	2308.60	3225.16	3313.62	2643.96
2	किशनगंगा (330 मेगावाट)	1705.62	-	-	1.68	407.13
3	तीस्ता लो डैम-IV (160 मेगावाट)	719.67	18.76	602.53	495.15	626.53
4	तुरियल (60 मेगावाट)	250.63	-	-	78.37	137.32
5	पारे (110 मेगावाट)	506.42	-	-	-	316.55

* - नवंबर, 2018 तक मिलियन यूनिट (एमयू) में अनंतिम उत्पादन।

(ग) और (घ) : केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा 1978-87 के दौरान किए गए जल विद्युत क्षमता के पुनर्मूल्यांकन अध्ययन के अनुसार संस्थापित क्षमता (आईसी) के संबंध में जल विद्युत क्षमता 1,48,701 मेगावाट आकलित की गई है जिसमें से 25 मेगावाट से अधिक की संस्थापित क्षमता वाली जल विद्युत योजनाओं की 1,45,320 मेगावाट क्षमता शामिल हैं। जल विद्युत क्षमता एवं विकास की स्थिति के ब्यौरे अनुबंध में दिए गए हैं।

राज्य सभा में दिनांक 01.01.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2227 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

जल विद्युत संभाव्यता विकास की स्थिति
(संस्थापित क्षमता के संदर्भ में - 25 मेगावाट से अधिक)

क्षेत्र/राज्य	पुनर्मूल्यांकन अध्ययन के आधार पर अभिचिन्हित क्षमता		प्रचालन में क्षमता (मेगावाट)	निर्माणाधीन क्षमता (मेगावाट)
	कुल (मेगावाट)	25 मेगावाट से अधिक (मेगावाट)		
	उत्तरी			
जम्मू और कश्मीर	14146	13543	3449.0	1935.5
हिमाचल प्रदेश	18820	18540	9809.0	1885.0
पंजाब	971	971	1096.3	206.0
हरियाणा#	64	64	0.0	0.0
राजस्थान##	496	483	411.0	0.0
उत्तराखंड	18175	17998	3756.4	1490.0
उत्तर प्रदेश*	723	664	501.6	0.0
उप जोड़ (एनआर)	53395	52263	19023.3	5516.5
पश्चिमी				
मध्य प्रदेश	2243	1970	2235.0	400.0
छत्तीसगढ़	2242	2202	120.0	0.0
गुजरात ###	619	590	550.0	0.0
महाराष्ट्र	3769	3314	2647.0	0.0
गोवा	55	55	0.0	0.0
उप जोड़ (डब्ल्यूआर)	8928	8131	5552.0	400.0
दक्षिणी				
आंध्र प्रदेश	2366	2341	1610.0	960.0
तेलंगाना	2058	2019	800.0	0.0
कर्नाटक	6602	6459	3644.2	0.0
केरल	3514	3378	1856.5	100.0
तमिलनाडु	1918	1693	1778.2	0.0
उप जोड़ (एसआर)	16458	15890	9688.9	1060.0
पूर्वी				
झारखंड	753	582	170.0	0.0
बिहार ####	70	40	0.0	0.0
ओडिशा	2999	2981	2142.3	0.0
पश्चिम बंगाल	2841	2829	441.2	120.0
सिक्किम	4286	4248	2169.0	1133.0
उप जोड़ (ईआर)	10949	10680	4922.5	1253.0

पूर्वोत्तर				
मेघालय	2394	2298	322.0	0.0
त्रिपुरा	15	0	0.0	0.0
मणिपुर	1784	1761	105.0	0.0
असम	680	650	350.0	0.0
नागालैंड	1574	1452	75.0	0.0
अरुणाचल प्रदेश	50328	50064	515.0	2744.0
मिजोरम	2196	2131	60.0	0.0
उप जोड़ (एनईआर)	58971	58356	1427.0	2744.0
अखिल भारत	148701	145320	40613.6	10973.5

टिप्पणी:-

1. इसमें पम्पड स्टोरेज स्कीमें शामिल नहीं हैं।
2. कुछ राज्यों में विकसित क्षमता तथा शेष क्षमता मूल्यांकन की गई क्षमता से भिन्न है। इसका कारण स्कीमों की क्षमता में परिवर्तन, स्कीमों को जोड़ना/हटाना तथा दो स्कीमों को एक में समाहित करना इत्यादि है।

* ईस्टर्न यमुना कैनाल प्रोजेक्ट (35 मेगावाट) दो चरणों में विकसित की गई है, प्रत्येक में 25 मेगावाट से कम की संस्थापित क्षमता है।

वेस्टर्न यमुना कैनाल प्रोजेक्ट (64 मेगावाट) चार चरणों में विकसित की गई है, प्रत्येक में 25 मेगावाट से कम की क्षमता है।

दो स्कीमें अर्थात् माही बजाज सागर-I व II 140 मेगावाट की संस्थापित क्षमता सहित 97 मेगावाट की संस्थापित क्षमता के लिए अभिचिन्हित की गई थी। गांधी सागर (115 मेगावाट) योजना राजस्थान में अभिचिन्हित की गई थी लेकिन इसी क्षमता के साथ मध्य प्रदेश में तैयार की गई है।

दो स्कीमें अर्थात् उकाई डैम तथा सरदार सरोवर 590 मेगावाट की संस्थापित क्षमता के लिए अभिचिन्हित की गई थी। तथापि, मूल रूप से संस्थापित क्षमता 550 मेगावाट है।

अभिचिन्हित परियोजना अर्थात् पूर्वी गंडक कैनाल 25 मेगावाट से कम की संस्थापित क्षमता के साथ तैयार की गई है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2228

जिसका उत्तर 01 जनवरी, 2019 को दिया जाना है ।

निष्क्रिय पड़े हुए गैस से चलने वाले ताप विद्युत संयंत्र

2228. श्री अखिलेश प्रसाद सिंह:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने गैस से चलने वाले ऐसे ताप विद्युत संयंत्रों की पहचान की है जो निष्क्रिय पड़े हैं और जिनमें कोई उत्पादन नहीं हो रहा है;
- (ख) संयंत्रों के निष्क्रिय पड़े रहने के पीछे मुख्य कारण क्या-क्या हैं;
- (ग) क्या सरकार ने इन बाधाओं से पार पाने के लिए कदम उठाए हैं; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (घ) : देश में घरेलू गैस की अनुपलब्धता के कारण कुल 14305 मेगावाट गैस आधारित उत्पादन क्षमता स्ट्रैंडिड है। इन गैस आधारित विद्युत संयंत्रों के ब्यौरे अनुबंध पर दिए गए हैं। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएंडएनजी) ने कहा है कि विद्युत क्षेत्र को वर्तमान उत्पादन स्तर के अनुसार घरेलू गैस की आपूर्ति की जा रही है और एमओपीएंडएनजी दिशा-निर्देशों के अनुपालन के अनुसार तथा भविष्य में विद्युत क्षेत्र को केवल उत्पादन स्तर में वृद्धि होने के मामले में घरेलू प्राकृतिक गैस आपूर्ति को बढ़ाया जा सकता है।

विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 2(28) में परिभाषित अनुसार, यदि उत्पादन कंपनी द्वारा वैद्युत ऊर्जा आपूर्ति करने अथवा ग्रिड से वैद्युत ऊर्जा आपूर्ति करने के व्यापार से जुड़ने के लिए वैद्युत ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है तो द्रवीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) और प्राकृतिक गैस (एनजी) का आयात करने पर सीमा शुल्क नहीं लगता है। गैस आधारित विद्युत संयंत्र विद्युत उत्पादन करने के लिए द्रवीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) का आयात करने और इसे उपभोक्ताओं को बेचने के लिए स्वतंत्र हैं।

राज्य सभा में दिनांक 01.01.2019 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 2228 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

स्टैंडिड गैस आधारित क्षमता (अखिल भारत)

क्रम सं.	परियोजना का नाम	क्षेत्र	विकासकर्ता	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	राज्य
1	गौतमी सीसीपीपी	पी	जीवीके गौतमी पावर लि.	464	आंध्र प्रदेश
2	जीएमआर-काकीनाडा (तनौरवावी)	पी	जीएमआर एनर्जी	220	आंध्र प्रदेश
3	जेगुरुपडु सीसीपीपी	पी	जीवीके इंडस्ट्रीज लि.	220.5	आंध्र प्रदेश
4	कोनासीमा सीसीपीपी	पी	कोनासीमा पावर	445	आंध्र प्रदेश
5	कोंडापल्ली एक्सटें. सीसीपीपी	पी	लैंको पावर	366	आंध्र प्रदेश
6	वेमागिरी सीसीपीपी	पी	जीएमआर एनर्जी	370	आंध्र प्रदेश
7	श्रीबा इंडस्ट्रीज	पी	पीसीआईएल पावर एंड होल्डिंग्स लिमिटेड	30	आंध्र प्रदेश
8	आरवीके एनर्जी	पी	आरवीके एनर्जी	28	आंध्र प्रदेश
9	सिल्क रोड सुगर	पी	सिल्क रोड सुगर	35	आंध्र प्रदेश
10	एलवीएस पावर	पी	एलवीएस पावर	55	आंध्र प्रदेश
11	जीएमआर वेमागिरी एक्सपें.	पी	जीएमआर एनर्जी	768	आंध्र प्रदेश
12	कोंडापल्ली एक्सपें. स्टे.-III	पी	लैंको पावर	742	आंध्र प्रदेश
13	समलकोट एक्सपें.	पी	रिलायंस इंफ्रा	2400	आंध्र प्रदेश
14	पंडुरंगा द्वारा सीसीजीटी	पी	पंडुरंगा एनर्जी	116	आंध्र प्रदेश
15	प्रगति सीसीजीटी-III	एस	प्रगति पावर कारपोरेशन लि.	750	दिल्ली
16	रिठाला सीसीपीपी	पी	एनडीपीएल	108	दिल्ली
17	धुवरन सीसीपीपी (जीएसईसीएल)	एस	गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कापोरेशन लि.	112	गुजरात
18	उतरन सीसीपीपी (जीएसईसीएल)	एस	गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कापोरेशन लि.	374	गुजरात
19	पीपावाव सीसीपीपी	एस	जीएसपीसी पीपावाव पावर कंपनी लि.	702	गुजरात
20	धुवरन सीसीपीपी	एस	गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कापोरेशन लि.	376.3	गुजरात
21	हजीरा सीसीपीपी एक्सटें.	एस	गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कापोरेशन लि.	351	गुजरात
22	वाटवा सीसीपीपी*	पी	टोरेंट पावर	100	गुजरात
23	एस्सार सीसीपीपी	पी	एस्सार पावर	300	गुजरात
24	उनोसुजैन सीसीपीपी	पी	टोरेंट पावर	382.5	गुजरात
25	डीजीईएन मेगा सीसीपीपी	पी	टोरेंट पावर	1200	गुजरात
26	रत्नागिरी (आरजीपीपीएल-धभोल)	सी	एनटीपीसी	1967	महाराष्ट्र
27	पायोनीर गैस पावर लि. द्वारा सीसीजीटी	पी	पायोनीर गैस पावर लि.	388	महाराष्ट्र
28	आस्था द्वारा गैस इंजन	पी	आस्था पावर	35	तेलंगाना
29	काशीपुर श्रावन्थी स्टे.-I व II	पी	श्रीवन्थी एनर्जी	450	उत्तराखंड
30	बेटा इंफ्राटेक सीसीजीटी	पी	बेटा इंफ्राटेक	225	उत्तराखंड
31	गामा इंफ्रापरोप सीसीजीटी	पी	गामा इंफ्रापरोप	225	उत्तराखंड
	कुल			14305	

सी: केंद्रीय क्षेत्र; एस: राज्य क्षेत्र; पी: निजी क्षेत्र;

* वाटवा सीसीपीपी 2015-16 में बंद कर दी गई।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2229

जिसका उत्तर 01 जनवरी, 2019 को दिया जाना है ।

नागपुर में अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत संयंत्र की स्थिति

2229. श्री माजीद मेमन:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि नागपुर जिले की उमरेर तहसील में पहले अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत संयंत्र के प्रस्ताव को प्रास्थगित रखा गया है; और
- (ख) क्या यह भी सच है कि महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड ने प्रशीतन, ऐश हैंडलिंग कोल वाशरीज़ के लिए नागपुर नगर निगम (एनएमसी) से उपचारित मलजल प्राप्त करने का प्रस्ताव किया है और क्या एनएमसी ताप विद्युत संयंत्र को प्रतिवर्ष 28 एमसीसी जल की आपूर्ति करेगी?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर.के. सिंह)

(क) : विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 7 के अनुसार ताप विद्युत संयंत्रों की स्थापना लाइसेंसरहित गतिविधि है। महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी (महाजेनको) ने सूचित किया है कि नागपुर के पास उमरेर कोल माइन क्षेत्र (डब्ल्यूसीएल) में अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट प्रतिस्थापन परियोजना के रूप में प्रस्तावित की गई थी। तथापि, लंबी अवधि तक माइन बंद होने (4-5 वर्ष) के कारण और बेकफील्ड लैंड के कारण भूमि विकास तथा नींव संबंधी लागत कठिनाइयों जैसी बाधाओं के चलते उन्होंने परियोजना निरस्त करने का निर्णय लिया है। बैकफील्ड लैंड सुधार की गई वह भूमि होती है जो कोयले की निकासी के पश्चात खाली पड़ी खान को पुनः भरे जाने के बाद बनाई जाती है।

(ख) : महाजेनको ने अपने कोराडी थर्मल पावर स्टेशन, नागपुर को भंडेवाडी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) से प्रतिदिन 130 मिलियन लीटर उपचारित सीवेज जल (एमएलडी) को उपयोग करने के लिए नागपुर नगर निगम के साथ करार पर हस्ताक्षर किया है। वर्तमान में यह मौजूदा भंडेवाडी एसटीपी से 110 एमएलडी उपचारित सीवेज जल का उपयोग कर रहा है। नागपुर में 200 एमएलडी एसटीपी से कोराडी टीपीएस में 90 एमएलडी एसटीपी जल और खापरखेड़ा में 100 एमएलडी एसटीपी जल का उपयोग करने के लिए एनएमसी के साथ अन्य करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2230

जिसका उत्तर 01 जनवरी, 2019 को दिया जाना है ।

ताप विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति

2230. श्री अनुभव मोहंती:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश में ताप विद्युत संयंत्रों की कुल संख्या का ब्यौरा क्या है और उनमें से कितने अपनी पूरी क्षमता पर काम कर रहे हैं;
- (ख) उनमें से कितनों को केन्द्र, राज्य और निजी कंपनियों में से प्रत्येक द्वारा प्रबंधित किया जा रहा है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या इन सभी विद्युत संयंत्रों को उनकी पूरी क्षमता से विद्युत उत्पादन करने के लिए कोयले की अपेक्षित मात्रा की आपूर्ति की जा रही है; और
- (घ) इनमें से प्रत्येक ताप विद्युत संयंत्र को अपनी पूरी क्षमता से विद्युत उत्पादन करने के लिए कितने कोयले की आवश्यकता होती है और उन्हें वास्तव में कितना कोयला आपूर्ति किया जा रहा है, संयंत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : दिनांक 30 नवंबर, 2018 की स्थिति के अनुसार ताप विद्युत स्टेशनों की क्षेत्र-वार तथा ईंधन-वार सूची अनुबंध-1 में दी गई है।

ताप विद्युत उत्पादन यूनिटों की क्षमता का उपयोग संयंत्र भार घटक (पीएलएफ) के संबंध में व्यक्त किया जाता है। स्टेशन का पीएलएफ नियोजित रख-रखाव के लिए बंदी, जबरन बंदी, ईंधन की अपेक्षित गुणवत्ता तथा

मात्रा की उपलब्धता, पारेषण नेटवर्क की उपलब्धता तथा लाभग्राहियों द्वारा स्टेशन को वास्तविक प्रचलित प्रेषण जैसे कारकों की संख्या पर निर्भर करता है। वास्तविक प्रेषण विद्युत की मांग, अन्य विभिन्न स्रोतों जैसे हाइड्रो, न्यूक्लियर तथा नवीकरणीय इत्यादि से विद्युत की उपलब्धता तथा मेरिट ऑर्डर डिस्पैच पर निर्भर करता है।

दिनांक 30 नवंबर, 2018 की स्थिति के अनुसार, देश में ताप विद्युत संयंत्रों की कुल संख्या 266 है जिसमें से कोई भी परियोजना अपनी संपूर्ण भार क्षमता पर नहीं चल रही है। स्टेशनों के पीएलएफ में 0 से 94.86% तक की भिन्नता है। क्षेत्र-वार तथा स्टेशन-वार उत्पादन तथा वर्ष 2018-19 के लिए (नवंबर, 2018 तक) पीएलएफ का ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

(ग) : यदि खान का आवंटन विद्युत संयंत्र को किया जाता है तो विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति दीर्घकालिक लिंकेज, ई-नीलामी तथा कैप्टिव कोयला खानों के द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त, उपभोक्ता अपने विकल्प के स्रोत के माध्यम से प्रयोज्य शुल्क का भुगतान करने के बाद अपने संविदात्मक मूल्यों के अनुसार कोयले का आयात करने के लिए स्वतंत्र होता है। इसलिए, संयंत्र उनकी आवश्यकता के अनुसार अपने विकल्प के आधार पर कोयला प्राप्त कर सकता है।

इस वित्त वर्ष के दौरान नवंबर, 2018 तक 663.60 बिलियन यूनिटों के कुल कोयला आधारित विद्युत उत्पादन कार्यक्रम की तुलना में वास्तविक उत्पादन लगभग 658 बिलियन यूनिट रहा है जिससे कार्यक्रम का 99.2% कार्यान्वयन हासिल किया गया।

(घ) : वर्ष 2018-19 के लिए उत्पादन लक्ष्य के अनुसार, अप्रैल-नवंबर, 2018 के दौरान कोयले की आवश्यकता तथा कोयले की प्राप्ति सहित संयंत्रों का ब्यौरा **अनुबंध-III** में दिया गया है। देश में उत्पादन क्षमता की कोई कमी नहीं है।

राज्य सभा में दिनांक 01.01.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2230 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

30.11.2018 की स्थिति के अनुसार भारत में ताप विद्युत स्टेशनों की सूची

ईंधन	क्षेत्र	परियोजना का नाम	क्षमता (मेगावाट)
कोयला	केंद्रीय क्षेत्र	बाढ़-II	1320
		भिलाई टीपीएस	500
		बोकारो बी टीपीएस	210
		बोकारो टीपीएस 'ए' एक्सपें.	500
		बॉगाईगांव टीपीपी	500
		चंद्रपुर (डीवीसी) टीपीएस	630
		दादरी (एनसीटीपीपी)	1820
		दुर्गापुर स्टील टीपीएस	1000
		दुर्गापुर टीपीएस	210
		फरक्का एसटीपीएस	2100
		इंदिरा गांधी एसटीपीपी	1500
		कहलगाँव टीपीएस	2340
		कोडरमा टीपीपी	1000
		कोरबा एसटीपीएस	2600
		कुडगी एसटीपीपी	2400
		लारा टीपीपी	800
		मौदा टीपीएस	2320
		मेजा एसटीपीपी	660
		मेजिया टीपीएस	2340
		मुजफ्फरपुर टीपीएस	610
		नबी नगर टीपीपी	500
		रघुनाथपुर टीपीपी	1200
		रामगुंडम एसटीपीएस	2600
		रिहंद एसटीपीएस	3000
		सिम्हाद्री	2000
		सिंगरौली एसटीपीएस	2000
		सीपत एसटीपीएस	2980
		सोलापुर एसटीपीएस	660
		तालचर (ओल्ड) टीपीएस	460
		तालचर एसटीपीएस	3000
		टांडा टीपीएस	440
		तूतीकोरिन (जेवी) टीपीपी	1000
		ऊंचाहार टीपीएस	1550
		वल्लूर टीपीपी	1500
		विंध्याचल एसटीपीएस	4760
	केंद्रीय क्षेत्र कुल		53010
	राज्य क्षेत्र	अमरकंटक एक्स्ट टीपीएस	210
		अनपरा टीपीएस	2630
		बकरेश्वर टीपीएस	1050
		बंदेल टीपीएस	330
		बरौनी टीपीएस	710
		बेल्लारी टीपीएस	1700
		भुसावल टीपीएस	1210
		चंद्रपुर (महाराष्ट्र) एसटीपीएस	2920
		छाबड़ा टीपीपी	1660
		डी.पी.एल. टीपीएस	660
		दामोदरम संजीवैयाह टीपीएस	1600
		डॉ एन टाटा राव टीपीएस	1760
		डीएसपीएम टीपीएस	500
		गांधी नगर टीपीएस	630

	जीएच टीपीएस (लेह.मोह)	920
	हरदुआगंज टीपीएस	605
	आईबी वैली टीपीएस	420
	काकातिया टीपीएस	1100
	कालीसिंध टीपीएस	1200
	खापरखेड़ा टीपीएस	1340
	कोलाघाट टीपीएस	1260
	कोराडी टीपीएस	2400
	कोरबा-II	200
	कोरबा-III	240
	कोरबा-वेस्ट टीपीएस	1340
	कोटा टीपीएस	1240
	कोथागुडेम टीपीएस	720
	कोथागुडेम टीपीएस (न्यू)	1000
	मारवा टीपीएस	1000
	मेडूर टीपीएस	840
	मेडूर टीपीएस-II	600
	नासिक टीपीएस	630
	नॉर्थ चेन्नई टीपीएस	1830
	ओबरा टीपीएस	1094
	पानीपत टीपीएस	920
	पारस टीपीएस	500
	परीक्षा टीपीएस	1140
	पारली टीपीएस	1170
	रायचूर टीपीएस	1720
	राजघाट टीपीएस	135
	राजीव गांधी टीपीएस	1200
	रामागुंडम-बी टीपीएस	62.5
	रायलसीमा टीपीएस	1650
	रोपड़ टीपीएस	840
	सागरदिघी टीपीएस	1600
	संजय गांधी टीपीएस	1340
	संतालडीह टीपीएस	500
	सतपुरा टीपीएस	1330
	श्री सिंगाजी टीपीपी	1860
	सिक्का रिप. टीपीएस	500
	सिंगरैनी टीपीपी	1200
	सूरतगढ़ टीपीएस	1500
	तेनुघाट टीपीएस	420
	तूतीकोरिन टीपीएस	1050
	उकई टीपीएस	1110
	वानकबोरी टीपीएस	1470
	यमुना नगर टीपीएस	600
	येरमारस टीपीपी	1600
	राज्य क्षेत्र कुल	62966.5
	निजी क्षेत्र	
	अकलतारा टीपीएस	1800
	अमरावती टीपीएस	1350
	अनपरा सी टीपीएस	1200
	अनूपपुर टीपीपी	1200
	अवंथा भंडार	600
	बाल्को टीपीएस	600
	बंदाखार टीपीपी	300
	बारादरहा टीपीएस	1200
	बरखेड़ा टीपीएस	90
	बेला टीपीएस	270
	बीना टीपीएस	500
	बिंजकोट टीपीपी	600
	बज बज टीपीएस	750
	बुटीबोरी टीपीपी	600

	चकाबुरा टीपीपी	30
	दहानु टीपीएस	500
	देरांग टीपीपी	1200
	धारीवाल टीपीपी	600
	जीईपीएल टीपीपी फेज-1	120
	जीएमआर वरौरा टीपीएस	600
	गोइंदवाल साहिब	540
	हल्दिया टीपीपी	600
	हिरनमये टीपीपी	300
	आईटीपीसीएल टीपीपी	1200
	जोजोबेरा टीपीएस	240
	जेएसडब्ल्यू रत्नागिरी टीपीपी	1200
	कमलंगा टीपीएस	1050
	कसाईपल्ली टीपीपी	270
	काटघोरा टीपीपी	35
	कवाई टीपीएस	1320
	खांबरखेड़ा टीपीएस	90
	कुंदरकी टीपीएस	90
	ललितपुर टीपीएस	1980
	महादेव प्रसाद एसटीपीपी	540
	महान टीपीपी	1200
	महात्मा गांधी टीपीएस	1320
	मैथॉन आरबी टीपीपी	1050
	मकसूदपुर टीपीएस	90
	मिहान टीपीएस	246
	मुंद्रा टीपीएस	4620
	मुंद्रा यूएमटीपीपी	4000
	मुथियारा टीपीपी	1200
	नासिक (पी) टीपीएस	1350
	नवापारा टीपीपी	600
	निगरी टीपीपी	1320
	निवारी टीपीपी	45
	ओपी जिंदल टीपीएस	1000
	पैनमपुरम टीपीपी	1320
	पथाडी टीपीपी	600
	प्रयागराज टीपीपी	1980
	राईखेड़ा टीपीपी	1370
	राजपुरा टीपीपी	1400
	रतीजा टीपीएस	100
	रोसा टीपीपी फेज-1	1200
	साबरमती (सी स्टेशन)	60
	साबरमती (डी-एफ स्टेशन)	362
	सलाया टीपीपी	1200
	सलोरा टीपीपी	135
	सासन यूएमटीपीपी	3960
	सिओनी टीपीपी	600
	एसजीपीएल टीपीपी	1320
	शीरपुर टीपीपी	150
	सिम्हापुरी टीपीएस	600
	सदर्न रिप. टीपीएस	135
	स्टरलाइट टीपीपी	1200
	एसवीपीएल टीपीपी	63
	स्वास्तिक कोरबा टीपीपी	25
	तलवंडी साबो टीपीपी	1980
	तमनार टीपीपी	2400
	थामिनापट्टनम टीपीएस	300
	तिरौरा टीपीएस	3300
	टीटागढ़ टीपीएस	240
	टोरंगल्लु टीपीएस (एसबीयू-1)	260

		टोरंगल्लु टीपीएस (एसबीयू-II)	600
		ट्रॉम्बे टीपीएस	1250
		तूतीकोरिन (पी) टीपीपी	300
		उचपिंडा टीपीपी	1080
		उडुपी टीपीपी	1200
		उत्कल टीपीपी (इंड बराथ)	350
		उतरौला टीपीएस	90
		विजाग टीपीपी	1040
		वर्धा वरौरा टीपीपी	540
	निजी क्षेत्र कुल		74316
कोयला कुल			190292.5
लिग्नाइट	केंद्रीय क्षेत्र	बरसिंगसर लिग्नाइट	250
		नैवेली (एक्सटें) टीपीएस	420
		नैवेली टीपीएस-I	600
		नैवेली टीपीएस-II	1470
		नैवेली टीपीएस-II एक्सपें.	500
	केंद्रीय क्षेत्र कुल		3240
	राज्य क्षेत्र	अकरीमोता लिग. टीपीएस	250
		भावनगर सीएफबीसी टीपीपी	500
		गिरल टीपीएस	250
		कच्छ लिग. टीपीएस	290
	राज्य क्षेत्र कुल		1290
	निजी क्षेत्र	जलीपा कपूर्दी टीपीपी	1080
		नैवेली टीपीएस (जेड)	250
		सूरत लिग. टीपीएस	500
	निजी क्षेत्र कुल		1830
लिग्नाइट कुल			6360
डीजल	राज्य क्षेत्र	अंड. निकोबार डीजी	40.048
		ब्रह्मपुरम डीजी	63.96
		कोझीकोड डीजी	96
		लीमाखॉंग डीजी	36
		येलहंका (डीजी)	127.92
	राज्य क्षेत्र कुल		363.928
	निजी क्षेत्र	बी. ब्रिज डीजी	200
		बेल्लारी डीजी	25.2
		एलवीएस पावर डीजी	36.8
		समलपट्टी डीजी	105.7
		समयानल्लूर डीजी	106.001
	निजी क्षेत्र कुल		473.701
डीजल कुल			837.629
गैस	केंद्रीय क्षेत्र	अगरतला जीटी	135
		अंता सीसीपीपी	419.33
		ओरैया सीसीपीपी	663.36
		दादरी सीसीपीपी	829.78
		फरीदाबाद सीसीपीपी	431.59
		गांधार सीसीपीपी	657.39
		कथलगुडी सीसीपीपी	291
		कवास सीसीपीपी	656.2
		मोनार्चक सीसीपीपी	101
		आर. गांधी सीसीपीपी (लिक्वि.)	359.58
		रत्नागिरी सीसीपीपी	1967.08
		त्रिपुरा सीसीपीपी	726.6
	केंद्रीय क्षेत्र कुल		7237.91
	राज्य क्षेत्र	बारामुरा जीटी	58.5
		बेसिन ब्रिज जीटी (लिक्वि.)	120
		धौलपुर सीसीपीपी	330
		धुवरन सीसीपीपी	594.72
		हल्दिया जीटी (लिक्वि.)	40
		हजीरा सीसीपीपी	156.1

	हजिरा सीसीपीपी एक्सटें.	351
	आई.पी. सीसीपीपी	270
	जेगुरुपड्डु सीसीपीपी फेज-I	235.4
	कराईकल सीसीपीपी	32.5
	कसबा जीटी (लिक्वि.)	40
	कोविकलपल सीसीपीपी	107.88
	कुट्टलम सीसीपीपी	100
	लकवा जीटी	97.2
	लकवा रिप्लेसमेंट पावर प्रोजेक्ट	69.755
	नामरूप सीसीपीपी	161.25
	नारीमनम जीपीएस	10
	पम्पोर जीपीएस (लिक्वि.)	175
	पीपावाव सीसीपीपी	702
	प्रगति सीसीजीटी-III	1500
	प्रगति सीसीपीपी	330.4
	रामगढ सीसीपीपी	273.8
	रोखिया जीटी	111
	सिलीगुडी जीपीएस	20
	उरन सीसीपीपी	672
	उतरन सीसीपीपी	374
	वल्लथुर सीसीपीपी	186.2
	राज्य क्षेत्र कुल	7118.705
	निजी क्षेत्र	
	आदमटिल्ला सीसीपीपी	9
	बडौंदा सीसीपीपी	160
	बसखंडी सीसीपीपी	15.5
	कोचीन सीसीपीपी (लिक्वि.)	174
	डीजीईएन मेगा सीसीपीपी	1200
	एस्सार सीसीपीपी	515
	गामा सीसीपीपी	225
	गौतमी सीसीपीपी	464
	जीएमआर एनर्जी लि. - काकीनाडा	220
	गोवा सीसीपीपी (लिक्वि.)	48
	गोदावरी सीसीपीपी	208
	जीआरईएल सीसीपीपी (राजमुंदरी)	768
	जेगुरुपड्डु सीसीपीपी फेज-II	220
	करूपपुर सीसीपीपी	119.8
	काशीपुर सीसीपीपी	225
	कोनासीमा सीसीपीपी	445
	कोंडापल्ली एक्सटें. सीसीपीपी	366
	कोंडापल्ली सीसीपीपी	350
	कोंडापल्ली एसटी-3 सीसीपीपी	742
	मनगांव सीसीपीपी	388
	पी. नल्लूर सीसीपीपी	330.5
	पेड्डापुलम सीसीपीपी	220
	पेगुथान सीसीपीपी	655
	रिठाला सीसीपीपी	108
	सुजैन सीसीपीपी	1147.5
	ट्रॉम्बे सीसीपीपी	180
	उनोसुजैन सीसीपीपी	382.5
	वालंटरवी सीसीपीपी	52.8
	वेमागिरी सीसीपीपी	370
	विजेश्वरम सीसीपीपी	272
	निजी क्षेत्र कुल	10580.6
गैस कुल		24937.215
सकल जोड़		222427.344

अनुबंध-II

राज्य सभा में दिनांक 01.01.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2230 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

ईंधन	क्षेत्र	स्टेशन का नाम	30.11.2018 की स्थिति के अनुसार निगरानी की गई क्षमता (मेगावाट)	2018-19 (नव., 18 तक)*	
				उत्पादन (एमयू)	% पीएलएफ
कोयला	केंद्रीय	बदरपुर टीपीएस \$	0	1400.33	0
		बाढ़-II	1320	6597.04	85.34
		भिलाई टीपीएस	500	2436.33	83.21
		बोकारो बी टीपीएस	210	486.66	39.57
		बोकारो टीपीएस 'ए' एक्सपें.	500	2042.85	69.77
		बोंगाईगांव टीपीपी	500	1885.33	64.39
		चंद्रपुर (डीवीसी) टीपीएस	630	2636.56	71.47
		दादरी (एनसीटीपीपी)	1820	7525.63	70.61
		दुर्गापुर स्टील टीपीएस	1000	4013.07	68.53
		दुर्गापुर टीपीएस	210	605.1	49.2
		फरक्का एसटीपीएस	2100	9697.05	78.85
		इंदिरा गांधी एसटीपीपी	1500	4882.06	55.58
		कहलगाँव टीपीएस	2340	10823.1	78.98
		कोडरमा टीपीपी	1000	4138.19	70.67
		कोरबा एसटीपीएस	2600	13322.78	87.5
		कुडगी एसटीपीपी	2400	3495.54	32.99
		लारा टीपीपी	800	45.3	0
		मौदा टीपीएस	2320	8070.07	59.4
		मेजा एसटीपीपी	660	0	0
		मेजिया टीपीएस	2340	8015.88	58.5
		मुजफ्फरपुर टीपीएस	610	1814.5	50.8
		नबी नगर टीपीपी	500	1376.69	47.02
		रघुनाथपुर टीपीपी	1200	1837.29	26.15
		रामगुंडम एसटीपीएस	2600	12467.89	81.89
		रिहंद एसटीपीएस	3000	14986.77	85.31
		सिम्हाद्री	2000	7760.38	66.26
		सिंगरौली एसटीपीएस	2000	9466.68	80.83
		सीपत एसटीपीएस	2980	16066.36	92.07
		सोलापुर	660	1783.68	46.15
		तालचर (ओल्ड) टीपीएस	460	2352.04	87.31
		तालचर एसटीपीएस	3000	13947.09	79.39
		टांडा टीपीएस	440	1767.6	68.6
तूतीकोरिन (जेवी) टीपीपी	1000	3907.06	66.72		
ऊंचाहार टीपीएस	1550	4450.88	72.39		
वल्लूर टीपीपी	1500	4880.55	55.56		
विंध्याचल एसटीपीएस	4760	25225.87	90.5		
कोयला	केंद्रीय कुल		53010	216210.2	
	राज्य	अमरकंटक एक्स्ट टीपीएस	210	1049.44	85.34
		अनपरा टीपीएस	2630	13342.85	86.63
		बकरेश्वर टीपीएस	1050	4620.98	75.15
		बंदेल टीपीएस	330	976.81	48.38
		बरौनी टीपीएस	710	44.85	3.65
		बेल्तारी टीपीएस	1700	2153.97	21.64

		भुसावल टीपीएस	1210	4407.17	62.2
		चंद्रपुर (महाराष्ट्र) एसटीपीएस	2920	9599.16	56.14
		छाबड़ा टीपीपी	1660	6503.96	82.35
		डी.पी.एल. टीपीएस	660	1739.93	45.02
		दामोदरम संजीवैयाह टीपीएस	1600	4860.29	51.87
		डॉ एन टाटा राव टीपीएस	1760	7525.46	73.02
		डीएसपीएम टीपीएस	500	2684.01	91.67
		गांधी नगर टीपीएस	630	2689.84	72.91
		जीएच टीपीएस (लेह.मोह)	920	2149.14	39.89
		हरदुआगंज टीपीएस	605	2205.42	62.25
		आईबी वैली टीपीएस	420	2030.58	82.56
		काकातिया टीपीएस	1100	5699.77	88.48
		कालीसिंध टीपीएस	1200	2772.15	39.45
		खापरखेड़ा टीपीएस	1340	4543.01	57.89
		कोलाघाट टीपीएस	1260	3083.49	41.79
		कोराडी टीपीएस	2400	4987.95	35.49
		कोरबा-II	200	226.1	19.3
		कोरबा-III	240	878.6	62.51
		कोरबा-वेस्ट टीपीएस	1340	6450.48	82.2
		कोटा टीपीएस	1240	5315.99	73.21
		कोथागुडेम टीपीएस	720	2602.63	61.73
		कोथागुडेम टीपीएस (न्यू)	1000	5076.8	86.69
		मारवा टीपीएस	1000	4802.09	82
		मेडूर टीपीएस	1440	5559.99	65.93
		नासिक टीपीएस	630	1689.62	45.8
		नॉर्थ चेन्नई टीपीएस	1830	6949.2	64.85
		ओबरा टीपीएस	1094	2306.03	36
		पानीपत टीपीएस	920	2379.32	44.16
		पारस टीपीएस	500	2001.25	68.35
		परीक्षा टीपीएस	1140	3615.28	54.15
		पारली टीपीएस	1170	2498.6	36.47
		रायचूर टीपीएस	1720	5661.22	56.21
		राजघाट टीपीएस	135	0	0
		राजीव गांधी टीपीएस	1200	3064.91	43.61
		रामागुंडम-बी टीपीएस	62.5	261.55	71.46
		रायलसीमा टीपीएस	1650	4259.42	44.08
		रोपड़ टीपीएस	840	1674.52	25.92
		सागरदिघी टीपीएस	1600	4133.62	55.19
		संजय गांधी टीपीएस	1340	5782.64	73.69
		संतालडीह टीपीएस	500	2326.8	79.47
		सतपुरा टीपीएस	1330	4739.81	60.86
		श्री सिंगाजी टीपीपी	1860	4104.13	56.41
		सिक्का रिप. टीपीएस	500	1882.82	64.3
		सिंगरेनी टीपीपी	1200	5697.75	81.08
		सूरतगढ़ टीपीएस	1500	5505.51	62.68
		तेनुघाट टीपीएस	420	1135.64	46.17
		तूतीकोरिन टीपीएस	1050	4303.45	69.99
		उकई टीपीएस	1110	4599.93	70.77
		वानकबोरी टीपीएस	1470	6104.14	70.91
		यमुना नगर टीपीएस	600	1946.32	55.39
		येरमारस टीपीपी	1600	790.93	8.44
कोयला	राज्य कुल		62966.5	209997.32	
	निजी	अकलतारा टीपीएस	1800	5591.38	53.05

	अमरावती टीपीएस	1350	3620.66	45.8
	अनपरा सी टीपीएस	1200	5669.07	80.67
	अनूपपुर टीपीपी	1200	4576.98	65.13
	अवंथा भंडार	600	0	0
	बाल्को टीपीएस	600	1733.61	49.34
	बंदाखार टीपीपी	300	1509.58	85.93
	बारादरहा टीपीएस	1200	4649.32	66.16
	बरखेड़ा टीपीएस	90	148.7	28.21
	बेला टीपीएस	270	149.37	9.45
	बीना टीपीएस	500	1670.79	57.06
	बिंजकोट टीपीपी	600	969.34	27.59
	बज बज टीपीएस	750	4166.18	94.86
	बुटीबोरी टीपीपी	600	1847	52.57
	चकाबुरा टीपीपी	30	161.74	92.07
	दहानु टीपीएस	500	2619.5	89.46
	देरांग टीपीपी	1200	2833.57	40.32
	धारीवाल टीपीपी	600	2359.51	67.15
	जीईपीएल टीपीपी फेज-I	120	0	0
	जीएमआर वरौरा टीपीएस	600	2504.79	71.29
	गोइंदवाल साहिब टीपीपी	540	1376.78	43.54
	हल्दिया टीपीपी	600	3282.88	93.43
	हिरनमये टीपीपी	300	0	0
	आईसीसीएल (आईएमएफए) आईएमपी	0	80.56	0
	आईटीपीसीएल टीपीपी	1200	3879.34	55.2
	जोजोबेरा टीपीएस	240	1068.24	76.01
	जेएसडब्ल्यू रत्नागिरी टीपीपी	1200	5478.12	77.96
	कमलंगा टीपीएस	1050	4613.42	75.03
	कसाईपल्ली टीपीपी	270	1465.37	92.68
	काटघोरा टीपीपी	35	0	0
	कवाई टीपीएस	1320	4673.81	60.46
	खांबरखेड़ा टीपीएस	90	141.19	26.79
	कुंदरकी टीपीएस	90	203.68	38.65
	ललितपुर टीपीएस	1980	5144.32	44.37
	महादेव प्रसाद एसटीपीपी	540	2088.11	66.03
	महान टीपीपी	1200	2324.44	59.89
	महात्मा गांधी टीपीएस	1320	4279.8	55.37
	मैथॉन आरबी टीपीपी	1050	4742.55	77.13
	मकसूदपुर टीपीएस	90	141.27	26.8
	मिहान टीपीएस	246	0	0
	मुंद्रा टीपीएस	4620	12991.44	48.02
	मुंद्रा यूएमटीपीपी	4000	16405.47	70.04
	मुथियारा टीपीपी	1200	2050.63	29.18
	नालको आईएमपी	0	150.28	0
	नासिक (पी) टीपीएस	1350	0	0
	नवापारा टीपीपी	600	2156.79	61.38
	निगरी टीपीपी	1320	5391.6	69.75
	निवारी टीपीपी	45	76.15	28.9
	ओपी जिंदल टीपीएस	1000	2501.43	42.72
	पैनमपुरम टीपीपी	1320	6257.43	80.95
	पथाडी टीपीपी	600	2890.62	82.27
	प्रयागराज टीपीपी	1980	5176.63	44.65
	राईखेड़ा टीपीपी	1370	2135.33	52.49
	राजपुरा टीपीपी	1400	6243.36	76.15

		रतीजा टीपीएस	100	543.08	94.23
		रोसा टीपीपी फेज-I	1200	3912.04	55.67
		साबरमती (सी स्टेशन)	60	0	0
		साबरमती (डी-एफ स्टेशन)	362	1936.85	91.37
		सलाया टीपीपी	1200	0	0
		सलोरा टीपीपी	135	0	0
		सासन यूएमटीपीपी	3960	21657.17	93.39
		सिओनी टीपीपी	600	1526.83	43.45
		एसजीपीएल टीपीपी	1320	6577.97	85.1
		शीरपुर टीपीपी	150	0	0
		सिम्हापुरी टीपीएस	600	99.46	2.83
		सदर्न रिप. टीपीएस	135	236.25	29.88
		स्टरलाइट टीपीपी	1200	352.81	5.02
		एसवीपीएल टीपीपी	63	0	0
		स्वास्तिक कोरबा टीपीपी	25	0	0
		तलवंडी साबो टीपीपी	1980	7247.23	62.5
		तमनार टीपीपी	2400	4561.06	39.16
		थामिनापट्टनम टीपीएस	300	36.59	2.08
		तिरौरा टीपीएस	3300	13516.2	69.94
		टीटागढ़ टीपीएस	240	0	0
		टोरंगल्लु टीपीएस (एसबीयू-I)	260	941.62	61.84
		टोरंगल्लु टीपीएस (एसबीयू-II)	600	1955.88	55.67
		ट्रॉम्बे टीपीएस	1250	3566.03	48.72
		तूतीकोरिन (पी) टीपीपी	300	0	0
		उचपिंडा टीपीपी	1080	1427.62	33.86
		उडुपी टीपीपी	1200	3697.6	52.62
		उत्कल टीपीपी (इंड बराथ)	350	0	0
		उतरौला टीपीएस	90	196.09	37.21
		विजाग टीपीपी	1040	582.27	9.56
		वर्धा वरौरा टीपीपी	540	1028.6	32.53
कोयला	निजी कुल		74316	231791.38	
कोयला कुल			190292.5	657998.9	61.1
लिग्नाइट	केंद्रीय	बरसिंगसर लिग्नाइट	250	849.7	58.04
		नैवेली (एक्सटें) टीपीएस	420	1751.47	71.21
		नैवेली टीपीएस-I	600	2098.72	59.73
		नैवेली टीपीएस-II	1470	6995.67	81.27
		नैवेली टीपीएस-II एक्सपें.	500	1032.57	35.27
	केंद्रीय कुल		3240	12728.13	
	राज्य	अकरीमोता लिग. टीपीएस	250	846.07	57.79
		भावनगर सीएफबीसी टीपीपी	500	234.62	0
		गिरल टीपीएस	250	0	0
		कच्छ लिग. टीपीएस	290	764.25	45
	राज्य कुल		1290	1844.94	
	निजी	जलीपा कपूर्दी टीपीपी	1080	4683.51	74.05
		नैवेली टीपीएस (जेड)	250	836.93	57.17
		सूरत लिग. टीपीएस	500	2272.97	77.63
	निजी कुल		1830	7793.41	
लिग्नाइट कुल			6360	22366.48	64.98
प्राकृतिक गैस	केंद्रीय	अगरतला जीटी	135	407.01	51.48
		अंता सीसीपीपी	419.33	415.14	16.91
		ओरैया सीसीपीपी	663.36	522.72	13.46
		दादरी सीसीपीपी	829.78	1104.71	22.73
		फरीदाबाद सीसीपीपी	431.59	270.98	10.72

		गांधार सीसीपीपी	657.39	1263.85	32.83
		कथलगुडी सीसीपीपी	291	1058.15	62.09
		कवास सीसीपीपी	656.2	1733.26	45.11
		मोनार्चक सीसीपीपी	101	441.02	74.57
		रत्नागिरी सीसीपीपी	1967.08	3042.08	26.41
		रत्नागिरी सीसीपीपी-I			
		रत्नागिरी सीसीपीपी-II			
		रत्नागिरी सीसीपीपी-III			
		त्रिपुरा सीसीपीपी	726.6	3016.05	70.88
	केंद्रीय कुल		6878.33	13274.97	31.32
	राज्य	बारामुरा जीटी	58.5	114.79	33.51
		धौलपुर सीसीपीपी	330	20.92	1.08
		धुवरन सीसीपीपी	594.72	573.06	16.45
		हजीरा सीसीपीपी	156.1	24.22	2.65
		हजीरा सीसीपीपी एक्सटें.	351	341.82	16.63
		आई.पी. सीसीपीपी	270	447.68	28.31
		जेगुरुपड्डु फेज-I सीसीपीपी	235.4	559.95	40.62
		कराईकल सीसीपीपी	32.5	166.87	87.68
		कोविकलपल सीसीपीपी	107.88	219.12	34.68
		कुडुलम सीसीपीपी	100	259.52	44.32
		लकवा जीटी	97.2	300.63	47.36
		एलआरपीपी जीटी	69.76	115.4	75.75
		नामरूप सीसीपीपी	161.25	204.36	21.64
		पीपावाव सीसीपीपी	702	493.77	12.01
		प्रगति सीसीपीपी-III	1500	2646.43	30.13
		प्रगति सीसीपीपी	330.4	1177.55	60.86
		रामगढ़ सीसीपीपी	273.8	762.77	47.57
		रोखिया जीटी	111	280.03	43.08
		उरन सीसीपीपी	672	1741.64	44.26
		उतरन सीसीपीपी	374	404.13	18.45
		वल्लुथुर सीसीपीपी	186.2	757.9	69.51
	राज्य कुल		6713.71	11612.56	28.10
	निजी	बडौदा सीसीपीपी	160	0	0
		डीजीईएन मेगा सीसीपीपी	1200	0.08	0
		एस्सार सीसीपीपी	515	0	0
		गामा सीसीपीपी	225	265.65	20.16
		गौतमी सीसीपीपी	464	0	0
		जीआईपीसीएल जीटी आईएमपी	0	129.64	0
		जीएमआर एनर्जी लि. - काकीनाडा	220	0	0
		गोदावरी सीसीपीपी	208	849.03	69.7
		जीआरईएल सीसीपीपी (राजमुंदरी)	768	0	0
		जेगुरुपड्डु फेज-II सीसीपीपी	220	0	0
		करुपपुर सीसीपीपी	119.8	422.65	60.25
		काशीपुर सीसीपीपी	225	533.05	40.46
		कोनासीमा सीसीपीपी	445	0	0
		कोंडापल्लो एक्सटें. सीसीपीपी	366	0	0
		कोंडापल्लो सीसीपीपी	350	1240.37	60.52
		कोंडापल्लो एसटी-3 सीसीपीपी	742	0	0
		मनगांव सीसीपीपी	388	0	0
		पी. नल्लूर सीसीपीपी	330.5	0	0
		पेड्डुपुरम सीसीपीपी	220	0	0
		पेगुथान सीसीपीपी	655	284.99	7.43
		रिठाला सीसीपीपी	108	0	0

		सुजैन सीसीपीपी	1147.5	4414.64	65.7
		टॉम्बे सीसीपीपी	180	897.63	85.16
		उनोसुजैन सीसीपीपी	382.5	0	0
		वालंटरवी सीसीपीपी	52.8	239.56	77.48
		वेमागिरी सीसीपीपी	370	0	0
		विजेश्वरम सीसीपीपी	272	789.5	49.57
	निजी कुल		10334.1	10066.79	15.09
प्राकृतिक गैस कुल			23926.14	34954.32	24.02
नाप्या	केंद्रीय	आर. गांधी सीसीपीपी (लिक्वि.)	359.58	0	0
	केंद्रीय कुल		359.58	0	0
	राज्य	बेसिन ब्रिज जीटी (लिक्वि.)	120	0.05	0.01
	राज्य कुल		120	0.05	0.01
	निजी	कोचीन सीसीपीपी (लिक्वि.)	174	0	0
		गोवा सीसीपीपी (लिक्वि.)	48	0	0
	निजी कुल		222	0	0
नाप्या कुल			701.58	0.05	0
हाई स्पीड डीजल	राज्य	हृदिया जीटी (लिक्वि.)	40	0	0
		कसबा जीटी (लिक्वि.)	40	0	0
		पम्पोर जीपीएस (लिक्वि.)	175	0	0
	राज्य कुल		255	0	0
हाई स्पीड डीजल कुल			255	0	0
डीजल	राज्य	अंड. निकोबार डीजी	40.05	97.38	#
		ब्रह्मपुरम डीजी	63.96	0.13	#
		कोझीकोड डीजी	96	1.13	#
		लीमाखोंग डीजी	36	0	#
		येलहंका (डीजी)	127.92	0	#
	राज्य कुल		363.93	98.64	#
	निजी	बी. ब्रिज डीजी	200	0	#
		बेल्लारी डीजी	25.2	0	#
		एलवीएस पावर डीजी	36.8	0	#
		समलपट्टी डीजी	105.7	0	#
		समयानल्लूर डीजी	106	0	#
	निजी कुल		473.7	0	#
डीजल कुल			837.63	98.64	#
ताप कुल			222372.85	715418.39	

* वास्तविक-सह-मूल्यांकन पर आधारित अनंतिम

डीजल आधारित स्टेशनों के लिए पीएलएफ उपलब्ध नहीं है।

\$ बदरपुर टीपीएस 30.10.2018 को बंद हो गया है।

टिप्पणी: 1. सकल उत्पादन केवल पारंपरिक स्रोतों (थर्मल, हाइड्रो और न्यूक्लियर) के 25 मेगावाट और उससे अधिक के स्टेशनों से है।

2. सीओडी की घोषणा के बाद 25 मेगावाट और उससे अधिक के ताप विद्युत स्टेशनों के लिए पीएलएफ

3. 54.5 मेगावाट डीजल क्षमता (25 मेगावाट से कम) की निगरानी नहीं की गई तथा इस सूची में शामिल नहीं है।

राज्य सभा में दिनांक 01.01.2019 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 2230 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

अप्रैल-नवंबर, 2018 के दौरान उनकी कोयले की आवश्यकता और कोयले की प्राप्ति सहित कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों की सूची
आंकड़े '000 टन में

राज्य	परियोजना का नाम	क्षमता (मेगावाट)	उत्पादन लक्ष्य के आधार पर 2018-19 के लिए कोयले की आवश्यकता	उत्पादन लक्ष्य के आधार पर अप्रैल-नवंबर, 2018 के दौरान कोयले की आवश्यकता	कोयले की प्राप्ति (अप्रैल-नवंबर, 2018)
आंध्र प्रदेश	दामोदरम संजीवैयाह टीपीएस	1600.00	4626	3092	3183
	डॉ एन टाटा राव टीपीएस	1760.00	8704	5651	6262
	पैनमपुरम टीपीपी	1320.00	5261	3575	3360
	रायलसीमा टीपीएस	1650.00	6910	4296	3148
	एसजीपीएल टीपीपी	1320.00	5681	3759	3272
	सिम्हाद्री	2000.00	9181	6193	5661
	सिम्हापुरी टीपीएस	600.00	0	0	0
	थामिनापट्टनम टीपीएस	300.00	392	262	15
	विजाग टीपीपी	1040.00	4815	3265	211
असम	बोंगाईगांव टीपीपी	500.00	1543	984	1004
बिहार	बरौनी टीपीएस	710.00	459	109	0
	बाढ़-II	1320.00	5637	3955	3850
	कहलगाँव टीपीएस	2340.00	11583	7613	7859
	मुजफ्फरपुर टीपीएस	610.00	2130	1425	1271
	नबी नगर टीपीपी	500.00	2215	1317	803
छत्तीसगढ़	अकलतारा टीपीएस	1800.00	4402	2661	3405
	अवंथा भंडार	600.00	0	0	0
	बाल्को टीपीएस	600.00	2182	1479	1172
	बंधाखार टीपीपी	300.00	1671	1118	876
	बारदरहा टीपीएस	1200.00	5025	3358	3364
	भिलाई टीपीएस	500.00	2269	1489	1622
	बिंजकोट टीपीपी	600.00	0	0	721
	चाकबुरा टीपीपी	30.00	0	0	-
	डीएसपीएम टीपीएस	500.00	2506	1675	1724
	कसाइपाली टीपीपी	270.00	0	0	-
	काटघोरा टीपीपी	35.00	0	0	-
	कोरबा एसटीपीएस	2600.00	11980	8017	8907
	कोरबा-II	200.00	533	351	1118
	कोरबा-III	240.00	1302	898	
	कोरबा-वेस्ट टीपीएस	1340.00	6239	4147	4731
	लारा टीपीपी	800.00	689	461	-
	मारवा टीपीएस	1000.00	4296	2972	2997
	नवापारा टीपीपी	600.00	3024	1961	1759
	ओपी ज़िंदल टीपीएस	1000.00	2839	1906	1943
	पथाडी टीपीपी	600.00	2545	1700	1806
रायखेडा टीपीपी	1370.00	0	0	1216	
रतिजा टीपीएस	100.00	0	0	-	
सलोरा टीपीपी	135.00	0	0	-	

	सीपत एसटीपीएस	2980.00	12898	8619	9608
	एसवीपीएल टीपीपी	63.00	0	0	-
	स्वास्तिक कोरबा टीपीपी	25.00	0	0	-
	तमनार टीपीपी	2400.00	6667	4377	3365
	उचपिंडा टीपीपी	1080.00	2686	1641	979
दिल्ली	राजघाट टीपीएस	135.00	0	0	0
गुजरात	गांधी नगर टीपीएस	630.00	2129	1362	1714
	मुंद्रा टीपीएस	4620.00	16271	10550	7477
	मुंद्रा यूएमटीपीपी	4000.00	10835	7357	6851
	साबरमती (सी स्टेशन)	60.00	0	0	1097
	साबरमती (डी-एफ स्टेशन)	362.00	1558	1041	
	सलाया टीपीपी	1200.00	956	763	0
	सिक्का आरईपी टी पी एस	500.00	1300	881	1020
	उकई टीपीएस	1110.00	4386	3016	2743
	वानकबोरी टीपीएस	1470.00	4010	2661	3860
हरियाणा	इंदिरा गांधी एसटीपीपी	1500.00	5088	3344	3276
	महात्मा गांधी टीपीएस	1320.00	3082	2097	2548
	पानीपत टीपीएस	920.00	1082	715	1583
	राजीव गांधी टीपीएस	1200.00	3540	2367	1932
	यमुना नगर टीपीएस	600.00	2433	1537	1068
झारखंड	बोकारो बी टीपीएस	210.00	0	0	1592
	बोकारो टीपीएस 'ए' एक्सपी	500.00	1943	1299	
	चंद्रपुर (डीवीसी) टीपीएस	630.00	2118	1396	1433
	जोजोबेरा टीपीएस	240.00	1115	745	689
	कोडरमा टीपीपी	1000.00	3710	2417	2587
	महादेव प्रसाद एसटीपीपी	540.00	2052	1397	1366
	मैथॉन आरबी टीपीपी	1050.00	4335	2830	2900
	टेनुघाट टीपीएस	420.00	1468	943	512
कर्नाटक	बेल्लारी टीपीएस	1700.00	3089	2062	1463
	कुडगी एसटीपीपी	2400.00	5937	4089	1759
	रायचूर टीपीएस	1720.00	6074	3940	4389
	टोरंगलु टीपीएस (एसबीयू-I)	260.00	593	395	262
	टोरंगलु टीपीएस (एसबीयू-II)	600.00	1187	792	841
	उडुपी टीपीपी	1200.00	2504	1624	1693
	येरमारस टीपीपी	1600.00	2891	1932	445
मध्य प्रदेश	अमरकंटक एक्स्ट टीपीएस	210.00	841	542	540
	अनूपपुर टीपीपी	1200.00	4136	2767	2662
	बीना टीपीएस	500.00	1973	1288	1071
	महान टीपीपी	1200.00	2030	1359	1697
	निगरी टीपीपी	1320.00	4585	2994	3216
	निवारी टीपीपी	45.00	0	0	-
	संजय गांधी टीपीएस	1340.00	4856	3170	3697
	सासन यूएमटीपीपी	3960.00	17455	11406	11463
	सतपुरा टीपीएस	1330.00	3381	2217	3232
	सिओनी टीपीपी	600.00	1800	1201	1127
	श्री सिंगाजी टीपीपी	1860.00	4245	2593	3213
	विंध्याचल एसटीपीएस	4760.00	21075	13923	16278
महाराष्ट्र	अमरावती टीपीएस	1350.00	3000	1987	2089
	बेला टीपीएस	270.00	328	218	-
	भुसावल टीपीएस	1210.00	5092	3295	3372
	बुटीबोरी टीपीपी	600.00	2228	1570	1220
	चंद्रपुर (महाराष्ट्र) एसटीपीएस	2920.00	11635	7661	6591

	दहानु टीपीएस	500.00	2374	1674	1388
	धारीवाल टीपीपी	600.00	1240	830	974
	जीईपीएल टीपीपी फेज-1	120.00	0	0	-
	जीएमआर वारोरा टीपीएस	600.00	2447	1607	1594
	जेएसडब्ल्यू रत्नागिरी टीपीपी	1200.00	2870	1870	2291
	खापरखेड़ा टीपीएस	1340.00	6025	3893	3915
	कोराडी टीपीएस	2400.00	8613	5625	4017
	मौदा टीपीएस	2320.00	5617	3762	5379
	महान टीपीएस	246.00	0	0	-
	नासिक (पी) टीपीएस	1350.00	0	0	-
	नासिक टीपीएस	630.00	2605	1720	1351
	पारस टीपीएस	500.00	2482	1629	1535
	पारली टीपीएस	1170.00	2602	1697	1800
	शीरपुर टीपीपी	150.00	0	0	-
	सोलापुर एसपीएस	660.00	2017	1140	1285
	तिरोरा टीपीएस	3300.00	11400	7696	8659
	ट्रॉम्बे टीपीएस	1250.00	2420	1721	1764
	वर्धा वरौरा टीपीपी	540.00	824	533	754
ओडिशा	देरांग टीपीपी	1200.00	4146	2766	2186
	आईबी वैली टीपीएस	420.00	3538	1984	1691
	कमलंगा टीपीएस	1050.00	4266	2785	3325
	स्टरलाइट टीपीपी	1200.00	756	505	60
	तालचर (ओल्ड) टीपीएस	460.00	2475	1643	1836
	तालचर एसटीपीएस	3000.00	17025	11189	11386
	उत्कल टीपीपी (इंड बराथ)	350.00	0	0	-
पंजाब	जीएच टीपीएस (लेह. मोह.)	920.00	1832	1205	1369
	गोइंदवाल साहिब	540.00	1228	862	984
	राजपुरा टीपीपी	1400.00	5286	3606	3439
	रोपड़ टीपीएस	840.00	2159	1465	944
	तलवंडी साबो टीपीपी	1980.00	7499	5009	4396
राजस्थान	छाबड़ा टीपीपी	1660.00	7797	4725	4098
	कालीसिंध टीपीएस	1200.00	4041	2614	1682
	कवाई टीपीएस	1320.00	4047	2648	2800
	कोटा टीपीएस	1240.00	5127	3317	3974
	सूरतगढ़ टीपीएस	1500.00	5345	3197	3430
तमिलनाडु	आईटीपीसीएल टीपीपी	1200.00	3570	2440	2252
	मेडूर टीपीएस	840.00	6014	3911	2640
	मेडूर टीपीएस-II	600.00	0	0	
	मथियारा टीपीपी	1200.00	3322	1979	1297
	नॉर्थ चेन्नई टीपीएस	1830.00	8472	5424	5148
	तूतीकोरिन (जेवी) टीपीपी	1000.00	4497	2937	2336
	तूतीकोरिन (पी) टीपीपी	300.00	0	0	-
	तूतीकोरिन टीपीएस	1050.00	4417	2898	3183
	वल्लूर टीपीपी	1500.00	6808	4391	2921
तेलंगाना	काकातिया टीपीएस	1100.00	4746	3173	3248
	कोथागुडेम टीपीएस	720.00	2079	1399	2920
	कोथागुडेम टीपीएस (न्यू)	1000.00	5972	3716	3576
	रामागुंडम-बी टीपीएस	62.50	314	206	188
	रामागुंडम एसटीपीएस	2600.00	11650	7666	7547
	सिंगरैनी टीपीपी	1200.00	5405	3479	3466
उत्तर प्रदेश	अनपरा सी टीपीएस	1200.00	4848	3167	3589
	अनपरा टीपीएस	2630.00	12915	8977	8391

	बरखेड़ा टीपीएस	90.00	163	163	94
	दादरी (एनसीटीपीपी)	1820.00	4980	3282	4822
	हरदुआगंज टीपीएस	605.00	2148	1575	1283
	खांबरखेड़ा टीपीएस	90.00	163	163	98
	कुंदरकी टीपीएस	90.00	153	153	150
	ललितपुर टीपीएस	1980.00	6537	4540	3255
	मकसूदपुर टीपीएस	90.00	164	164	84
	मेजा एसटीपीपी	660.00	655	219	-
	ओबरा टीपीएस	1094.00	3444	2246	1196
	परीछा टीपीएस	1140.00	4403	2965	2503
	प्रयागराज टीपीपी	1980.00	5740	3866	3345
	रिहंद एसटीपीएस	3000.00	13101	9004	8684
	रोसा टीपीपी फेज-1	1200.00	4785	3343	2365
	सिंगरौली एसटीपीएस	2000.00	9577	6234	5819
	टांडा टीपीएस	440.00	1873	1234	1207
	ऊंचाहार टीपीएस	1550.00	5157	3010	2314
	उतरोला टीपीएस	90.00	158	158	136
पश्चिम बंगाल	बकरेश्वर टीपीएस	1050.00	4628	3043	2539
	बंदेल टीपीएस	330.00	1274	830	802
	बज बज टीपीएस	750.00	3619	2444	2451
	डी.पी.एल. टीपीएस	660.00	1522	984	1054
	दुर्गापुर स्टील टीपीएस	1000.00	4080	2673	2599
	दुर्गापुर टीपीएस	210.00	0	0	486
	फरक्का एसटीपीएस	2100.00	8163	5383	6236
	हल्दिया टीपीपी	600.00	2959	2019	2088
	हिरनमये टीपीपी	300.00	0	0	-
	कोलाघाट टीपीएस	1260.00	3331	2232	2666
	मेजिया टीपीएस	2340.00	8663	5824	5222
	रघुनाथपुर टीपीपी	1200.00	2032	1359	1139
	सागरदिघी टीपीएस	1600.00	4572	3073	2489
	संतालडिह टीपीएस	500.00	2329	1517	1497
	सदर्न रिप. टी पी एस	135.00	157	108	128
	टीटागढ़ टीपीएस	240.00	0	0	0
सकल जोड़ (कोयला आधारित विद्युत संयंत्र)		190292.50	652899	430554	415543

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2231

जिसका उत्तर 01 जनवरी, 2019 को दिया जाना है ।

कोयला विद्युत संयंत्रों में अनर्जक आस्तियां

2231. श्रीमती वंदना चव्हाण:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या ताप विद्युत क्षेत्र, विशेष रूप से कोयला विद्युत संयंत्रों में अनर्जक और दबावग्रस्त आस्तियां अत्यधिक हैं;
- (ख) सरकार ने ताप विद्युत क्षेत्र में अनर्जक और दबावग्रस्त आस्तियों को कम करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए हैं;
- (ग) कोयला-आधारित ऊर्जा की औसत प्रति यूनिट लागत पवन तथा सौर ऊर्जा की प्रति यूनिट लागत से किस ढंग से भिन्न है;
- (घ) क्या सरकार की कोयला-आधारित ताप विद्युत संयंत्रों की संख्या बढ़ाने या कम करने की योजना है और इस निर्णय के क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख): सरकार ने वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची के अनुसार संकटग्रस्त ताप 34 विद्युतपरियोजनाओं की स्थिति की समीक्षा की है।

भारत सरकार ने संकटग्रस्त विद्युत परियोजनाओं से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

I. शक्ति के अंतर्गत ईंधन लिंकेज: सरकार ने 17 मई, 2018 को शक्ति (स्कीम फॉर हार्नेसिंग एंड एलोकेटिंग कोयला (कोल) ट्रांसपेरेन्टली इन इंडिया) नामक नई कोयला लिंकेज आबंटन नीति अनुमोदित की है। इस स्कीम के अंतर्गत 12 सितंबर, 2017 को घरेलू कोयले पर आधारित पीपीए वाले स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (आईपीपी) के लिए कोयला लिंकेज की नीलामी की। जिन आईपीपी के पास पीपीए है, परंतु कोयला लिंकेज नहीं है, ने नीलामी में भाग

लिया है और कुल 8,490 मेगावाट क्षमता की 5 संकटग्रस्त परियोजनाओं सहित 11,549 मेगावाट क्षमता (10 परियोजनाएं) के लिए लिंकेज मंजूर किए गए हैं और इन परियोजनाओं का समाधान कर दिया गया है। शक्ति स्कीम के प्रावधान ख(i) के तहत, 10 परियोजनाओं के लिए 8,870 मेगावाट के लिए राज्यों/केंद्रीय उत्पादन कंपनियों को लिंकेज मंजूर किए गए हैं।

II. **2500 मेगावाट विद्युत के प्रापण के लिए प्रायोगिक परियोजना;** देश में विद्युत क्रय करारों (पीपीए) के अभाव की समस्या का समाधान करने के लिए, विद्युत मंत्रालय ने मुक्त क्षमतावाली चालू परियोजनाओं वाले उत्पादकों से तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रतिस्पर्धा के आधार पर 2500 मेगावाट विद्युत प्रापण की एक स्कीम अधिसूचित की है। इस स्कीम के तहत, पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड ने 2500 मेगावाट विद्युत के लिए बोलियां आमंत्रित की जिसमें पीटीसी इंडिया लिमिटेड ने विद्युत परियोजनाओं से विद्युत की खरीद हेतु समूहक के रूप में कार्य करेगा और इस विद्युत को राज्य यूटिलिटीयों को बेचेगा। कुल 1900 मेगावाट विद्युत के लिए 7 (सात) परियोजनाओं से निविदाएं प्राप्त हुईं। सभी सफल बोली लगाने वालों (1900 मेगावाट) को स्वीकृति पत्र (एलओए) जारी कर दिए गए हैं।

III. **डिस्कॉम भुगतान निगरानी ऐप प्राप्ति:** डिस्कॉमों द्वारा भुगतान प्रणाली में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा एक नया ऐप प्राप्ति (विद्युत उत्पादकों के इनवॉयसिंग में पारदर्शिता लाने के लिए विद्युत प्रापण में भुगतान अनुसमर्थन एवं विश्लेषण) शुरू किया गया है। विद्युत उत्पादकों को पोर्टल में उनके इनवॉयसिंग एवं भुगतान के आंकड़े फीड करने के लिए सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जा रहा है।

IV. **विद्युत उत्पादन की लागत कम करने के लिए किए गए उपाय:** उत्पादन लागत में कमी करने से डिस्कॉमों की अधिक विद्युत क्रय करने की क्षमता में सुधार होने की संभावना है और इस प्रकार विद्युत उत्पादकों की मांग और बढ़ेगी। सरकार ने विद्युत उत्पादन की लागत कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जो इस प्रकार हैं:

क. केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान (सीआईएमएफआर) द्वारा तीसरे पक्ष द्वारा नमूना लेने की शुरुआत: सरकार ने विद्युत उत्पादकों को सीआईएल से कोयला आपूर्ति के लदान एवं उतराई दोनों स्थानों पर तीसरे पक्ष द्वारा कोयला के नमूने लेना शुरू किया है।

ख. कोयला लिंकेज का युक्तिकरण:

- विद्युत मंत्रालय ने विद्युत उत्पादन की लागत में कमी लाने के लिए केंद्रीय विद्युत उत्पादन कंपनियों और राज्य विद्युत यूटिलिटीयों के लिए घरेलू कोयले के उपयोग में छूट देने संबंधी नीति दिनांक 2016, जून 10 के पत्र संख्या -2015/3/5ओएम के माध्यम से जारी की है।
- विद्युत मंत्रालय ने निजी विद्युत उत्पादन स्टेशनों में राज्यों द्वारा कोयले के उपयोग के लिए कार्यविधि दिनांक 2017, फरवरी 20 के पत्र संख्या -2015/3/5ओएम के माध्यम से जारी की है।

संकटग्रस्त ताप विद्युत परियोजनाओं के मुद्दों को हल करने के लिए सरकार द्वारा 29.07.2018 को मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति (एचएलईसी) का गठन किया गया था

जिसमें रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, कोयला मंत्रालय से प्रतिनिधि और विद्युत क्षेत्र में अधिक जोखिम वाले ऋणदाता शामिल थे।

एचएलईसी ने अपनी सिफारिशें दे दी हैं। एचएलईसी की रिपोर्ट वेबसाइट पर भी प्रकाशित की गई है।

(ग) : कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना के लिए प्रति यूनिट लागत का निर्धारण नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से पूर्णतः भिन्न होता है। कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजनाओं में प्रशुल्क मुख्यतः निम्न पर आधारित होता है (i) निर्धारित प्रभारों जिसमें कैपेक्स लागत और प्रचालनात्मक व्यय आदि शामिल होते हैं तथा; (ii) परिवर्तनीय प्रभार अर्थात् कोयले की लागत जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है तथा मुख्यतः कोयले की उपलब्धता और स्रोत पर निर्भर करता है। कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजनाएं 'बेस लोड पावर स्टेशनों' के रूप में कार्य कर सकती हैं।

नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियां जैसे कि ऊर्जा प्रणालियां मौसम स्थितियों पर निर्भर रहते हुए उनके आउटपुट के साथ मध्यवर्ती भार संयंत्रों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होती हैं। इसलिए, न तो उन पर निरंतर विद्युत आपूर्ति जरूरतों को पूरा करने के लिए निर्भर रहा जा सकता है और न ही इन्हें व्यस्ततम मांगों की पूर्ति के लिए तात्कालिक रूप से लगाया जा सकता है। तथापि, सौर तथा पवन प्रणालियां मध्यवर्ती स्रोतों के रूप में पर्याप्त हो सकती हैं तथा जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम करने में सहायक हो सकती हैं। हाल ही में, प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्द्धी बोली के कारण सौर/पवन ऊर्जा के लिए प्रशुल्क उल्लेखनीय रूप से कम हुआ है। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों तथा सौर/पवन विद्युत परियोजनाओं के बीच तुलना व्यवहार्य रूप से संभव नहीं है।

(घ) : विद्युत अधिनियम, 2003 के अधिनियमन के पश्चात विद्युत उत्पादन लाइसेंस रहित गतिविधि हो गई है। इसलिए, विद्युत उत्पादन स्टेशनों की स्थापना करने का निर्णय विकासकर्ताओं/निवेशकों के निर्णय/विवेक पर छोड़ दिया जाता है।

अन्य पहलुओं में ग्रिड स्थायित्व विद्युत के वैकल्पिक स्रोतों को ध्यान में रखते हुए, विभिन्न स्टेकहोल्डरों जैसे डिस्कॉमों, पारेषण यूटिलिटीयों आदि के साथ उचित परामर्श के पश्चात संबंधित विद्युत यूटिलिटी द्वारा यूनिटों को बंद करने का निर्णय लिया जाता है। देश में विद्युत उत्पादन की क्षमता की कोई कमी नहीं है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2232

जिसका उत्तर 01 जनवरी, 2019 को दिया जाना है ।

‘सौभाग्य’ के अंतर्गत विद्युतीकरण

2232. श्री देरेक ओब्राईन:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) के अंतर्गत विद्युतीकरण के लिए लक्षित घरों में से 30 प्रतिशत से अधिक घर आज की तारीख तक अभी भी बिना बिजली के हैं;
- (ख) ‘सौभाग्य’ के आरंभ से इसके अंतर्गत विद्युतीकरण के लिए लक्षित घरों की संख्या और सफलतापूर्वक विद्युतीकृत किए गए घरों की संख्या का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) सौभाग्य के आरंभ से इसके अंतर्गत ग्रिड से जोड़े गए और अबाधित बिजली प्राप्त कर रहे घरों की संख्या कितनी है; और
- (घ) क्या गांव में घरों की संख्या के संबंध में डेटा के मान्यकरण हेतु कोई प्रावधान है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ग) : भारत सरकार ने मार्च, 2019 तक ग्रामीण क्षेत्रों में सभी घरों तथा शहरी क्षेत्रों में सभी गरीब घरों को विद्युत के कनेक्शन प्रदान करते हुए सार्वभौमिक घरों का विद्युतीकरण हासिल करने के उद्देश्य प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना - "सौभाग्य" शुरूआत की।

राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 11 अक्टूबर, 2017 को सौभाग्य स्कीम की शुरूआत से 26.12.2018 तक 2.31 करोड़ गैर-विद्युतीकृत घरों को विद्युतीकृत किया गया था और शेष गैर-विद्युतीकृत घरों को 31 मार्च, 2019 तक विद्युतीकृत किए जाने का लक्ष्य है। राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है। सौभाग्य के अंतर्गत, ग्रिड से जुड़े घरों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति करना संबंधित राज्य विद्युत यूटिलिटी के अधिकार क्षेत्र में आता है।

(घ) : स्थल दौरे करने के पश्चात संबंधित राज्य डिस्कॉमों द्वारा घरों के विद्युतीकरण के आंकड़ों को वैधीकृत किया जाता है। संबंधित राज्य डिस्कॉमों/विद्युत विभाग की सहायता करने के लिए एक वेब समर्थकृत सौभाग्य पोर्टल (<http://saubhagya.gov>) तैयार किया गया है जिनमें राज्य डिस्कॉम द्वारा घरों के आंकड़े अद्यतन किए जाते हैं।

राज्य सभा में दिनांक 01.01.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2232 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

सौभाग्य के अंतर्गत घरों के विद्युतीकरण की स्थिति

क्रम सं.	राज्य	कुल घर	10 अक्टूबर, 2017 की स्थिति के अनुसार विद्युतीकृत घर	11 अक्टूबर, 2017 से विद्युतीकृत किए गए घर	
				2017-18	2018-19
1	आंध्र प्रदेश	1,14,36,744	1,12,81,072	81,949	73,723
2	अरुणाचल प्रदेश	3,09,024	2,55,185	0	24,539
3	असम	66,74,071	47,90,245	1,10,836	11,33,869
4	बिहार	1,39,73,122	1,07,14,081	4,49,016	28,10,025
5	छत्तीसगढ़	56,74,745	49,55,330	1,55,490	5,25,800
6	गोवा	1,28,208	1,28,208	0	0
7	गुजरात	1,14,14,532	1,13,73,215	15,748	25,569
8	हरियाणा	34,68,065	34,15,291	3,497	49,277
9	हिमाचल प्रदेश	18,55,666	18,42,778	1,943	10,945
10	जम्मू व कश्मीर	24,40,128	20,72,861	0	3,67,267
11	झारखंड	67,12,648	51,71,500	1,25,389	12,23,812
12	कर्नाटक	1,02,10,773	98,62,192	59,709	2,21,707
13	केरल	98,13,032	98,13,032	0	0
14	मध्य प्रदेश	1,26,21,007	1,06,36,743	11,49,748	8,34,516
15	महाराष्ट्र	2,43,89,845	2,33,03,595	1,82,896	9,00,852
16	मणिपुर	4,53,055	3,50,925	746	1,01,384
17	मेघालय	6,21,052	4,35,963	0	51,621
18	मिजोरम	2,41,712	2,13,909	0	27,803
19	नागालैंड	4,42,842	3,00,305	473	1,05,272
20	ओडिशा	96,26,175	72,19,339	1,35,348	22,57,581
21	पुडुचेरी	95,616	94,704	0	912
22	पंजाब	36,89,970	36,89,584	0	386
23	राजस्थान	1,29,48,577	1,08,59,210	2,12,555	13,16,991
24	सिक्किम	98,572	83,868	0	14,704
25	तमिलनाडु	1,02,85,848	1,02,83,678	2,170	0
26	तेलंगाना	65,28,759	60,84,656	23,803	4,20,300
27	त्रिपुरा	7,88,863	6,52,463	1,882	1,34,518
28	उत्तर प्रदेश	2,82,28,779	2,11,92,287	11,33,002	57,58,307
29	उत्तराखंड	20,60,776	18,44,305	4,960	2,11,511
30	पश्चिम बंगाल	1,50,57,882	1,43,25,592	1,94,153	5,38,137
	कुल	21,22,90,088	18,72,46,116	40,45,313	1,91,41,328

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2233

जिसका उत्तर 01 जनवरी, 2019 को दिया जाना है ।

'सौभाग्य' योजना के लिए निधियां

2233. श्री नारायण लाल पंचारिया:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) 'सौभाग्य' योजना के तहत ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए निर्धारित लक्ष्यों के संबंध में राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा योजना के लिए निधियों के आवंटन के संबंध में ब्यौरा क्या है;
- (ग) उक्त योजना के लिए अपेक्षित निधियों में केन्द्र और राज्यों के हिस्सों के संबंध में ब्यौरा क्या है; और
- (घ) योजनाओं के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए लक्ष्य की निर्धारित तिथियों के संबंध में ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) समय पर उपलब्धि सुनिश्चित करने के लिए निगरानी तंत्र के संबंध में ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (घ) : भारत सरकार ने मार्च, 2019 तक ग्रामीण क्षेत्र में सभी घरों तथा शहरों क्षेत्रों में सभी गरीब घरों को विद्युत के कनेक्शन प्रदान करते हुए सार्वभौमिक घरों का विद्युतीकरण हासिल करने के उद्देश्य से 12320 करोड़ रुपए की सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) सहित 16,320 करोड़ रुपए के परिव्यय से प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना - "सौभाग्य" शुरू की थी। सौभाग्य के अंतर्गत भारत सरकार राज्यों को 60% की सीमा तक (विशेष श्रेणी राज्यों के लिए 85%) निधियां अनुदान के रूप में प्रदान करती है। 31 दिसंबर, 2018 तक 100% घरों का विद्युतीकरण हासिल करने के अध्यक्षीन 15% (विशेष श्रेणी राज्यों के लिए 5%) का अतिरिक्त अनुदान भी उपलब्ध है। दिनांक 26.12.2018 की स्थिति के अनुसार, 11 अक्टूबर, 2017 को सौभाग्य स्कीम की शुरुआत से 2.31 करोड़ घरों को विद्युतीकृत किया गया है। सौभाग्य के अंतर्गत, राज्य-वार घरों के विद्युतीकरण की प्रगति का ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

(ङ) : सौभाग्य योजना की समीक्षा निम्नलिखित स्तरों पर की जा ही है:

- (i) डिस्कॉम/राज्य विद्युत विभाग के अलावा, आरईसी लिमिटेड नोडल एजेंसी फील्ड लेवल पर अपने राज्य/क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से स्कीम के कार्यान्वयन की निगरानी करती है।
- (ii) राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति प्रगति की निगरानी करती है तथा स्कीम के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों का समाधान करती है।
- (iii) केंद्रीय स्तर पर, सचिव, विद्युत मंत्रालय, की अध्यक्षता में सौभाग्य संबंधी अंतर-मंत्रालयी निगरानी समिति स्कीम के कार्यान्वयन की निगरानी करती है। इसके अतिरिक्त, विद्युत मंत्रालय की समीक्षा, आयोजना और निगरानी (आईपीएम) बैठक में राज्यों/विद्युत यूटिलिटीयों के साथ मासिक आधार पर समीक्षा करती है।

राज्य सभा में दिनांक 01.01.2019 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 2233 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

घरों के विद्युतीकरण की स्थिति

26.12.2018 की स्थिति के अनुसार

क्रम सं.	राज्य	11.10.2017 से विद्युतीकृत घर (सौभाग्य की शुरुआत से)
1	आंध्र प्रदेश	1,55,672
2	अरुणाचल प्रदेश	24,539
3	असम	12,44,705
4	बिहार	32,59,041
5	छत्तीसगढ़	6,81,290
6	गुजरात	41,317
7	हरियाणा	52,774
8	हिमाचल प्रदेश	12,888
9	जम्मू और कश्मीर	3,67,267
10	झारखंड	13,49,201
11	कर्नाटक	2,81,416
12	मध्य प्रदेश	19,84,264
13	महाराष्ट्र	10,83,748
14	मणिपुर	1,02,130
15	मेघालय	51,621
16	मिजोरम	27,803
17	नागालैंड	1,05,745
18	ओडिशा	23,92,929
19	पुडुचेरी	912
20	पंजाब	386
21	राजस्थान	15,29,546
22	सिक्किम	14,704
23	तमिलनाडु	2,170
24	तेलंगाना	4,44,103
25	त्रिपुरा	1,36,400
26	उत्तर प्रदेश	68,91,309
27	उत्तराखंड	2,16,471
28	पश्चिम बंगाल	7,32,290
	कुल	2,31,86,641
